राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
सत्यमेव जयते
पौष 28, सोमवार शाके 1931–जनवरी 18, 2010
Pausa 28, Monday, Saka 1931–January 18, 2010

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड–I

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये(सामान्य आदेशों,उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानून नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2009

जी.एस.आर.77:–भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के परामर्श से, राजस्थान विधानसभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान)(संशोधन) नियम 2009 हैं।

(2) ये 21 जून, 2009 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

2. **नियम 8 का हटाया जाना**:– राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप निर्दिष्ट किया गया है, का विद्यमान नियम 8 हटाया जायेगा।

3. **नियम 9 का संशोधन**:– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

"9. **विशेष वेतन**:– विशेष वेतन, जो चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ आहरित किया जायेगा, की दरें इन नियमों से संलग्न अनुसूची–II में दी गयी है।"

4. **अनुसूची–II का संशोधन**:–उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II में,–

(i) शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विशेष–भत्ता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विशेष–भत्ता"प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "विशेष भत्ता", आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "विशेष वेतन" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(175)

[सख्या.एफ.12(6)संसद / 2008]
राज्पाल के आदेश से,
एस.एल.कोठारी,
शासन उप सचिव,

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur December 29, 2009

G.S.R.77:- In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, after consulation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is herby pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009, namely:-

1. **Short title and commeneement:-** (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall be deemend to have come into force on and from the 1st day of June, 2009

2. **Deletion of rule 8:-** The existing rule 8 of the Rajasthan Legislative Assmebly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009 hereinafter referred as to the said tules, shall be deleted.

3. **Amendment of rule 9:-** The existing rule 9 of the said rules shall be substituted by following, namely:-

"9 **Special pay:-** The rates of Special pay, which shall be drawn with the Running Pay Band and Grade pay, are given in Schedule-II appended to these rules."

4. **Amendment of Schedule-II:-** in Schedule-II appended to the said rules:-

(i) in heading, for the existing expression "SPECIAL ALLOWANCE", the expression "SPECIAL PAY" shall be substituted.

(ii) for the existing expression "Special Allowance", where ever occurring the experession "Special Pay" shall be substituted.

[No.F12(6) Sansad/2008]
By order of the Governor,
एस.एस. कोठारी,
Principal Secreatry to the Government.

Government Centrel Prees, Jaipur

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJBIL/2000/1717
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

फाल्गुन 6, गुरुवार, शाके 1931 - फरवरी 25, 2010
Phalguna 6, Thursday Saka 1931—February 25, 2010

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

"शुद्धि-सूचना"

जयपुर, फरवरी 25, 2010

संख्या प. 12 (6) संसद/2008 :-"संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) संसद/2008 दिनांक 29-12-2009 जिससे राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2009 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-4 (ग) उप-खण्ड-I में दिनांक जनवरी 18, 2010 को प्रकाशित हुआ है में उक्त संशोधन नियमों के नियम 4 के खण्ड (i) की दूसरी पंक्ति में विद्यमान शब्द "विशेष भत्ता" के स्थान पर शब्द "विशेष वेतन" पढ़ा जावे।"

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

194

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 4, गुरुवार, शाके 1932–अगस्त 26, 2010

Bhadra 4, Thursday, Saka 1932–August 26, 2010

भाग 4(ग)

उपखण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

"शुद्धि सूचना"

जयपुर, अगस्त 23, 2010

संख्या प.12 (6) संसद/2008:–"संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) संसद/2008 दिनांक 29–12–2009 जिससे राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2009 का प्रकाशन राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप–खण्ड (I) में दिनांक जनवरी 18, 2010 को प्रकाशित हुआ है में उक्त संशोधन नियमों के नियम 4 के उप–नियम (2) में विद्यमान शब्द "ये 21 जून, 2009 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।" के स्थान पर शब्द "ये 1 जून, 2009 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।" पढ़ा जाये।"

एस. डी. टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।